फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/3) **श्री नटवरसिंह बनाम श्री कालिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अतः अपील में निर्णय निम्नानुसार पारित किया जा रहा है। उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री एस.पी.व्यास - वकील अपीलार्थी 2. श्री भूरालाल डांगी व अन्य - वकील प्रत्यर्थी-1 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2 अनवान 1. श्री नटवरसिंह पिता श्री मोतीसिंह राजपूत, उम्मेदपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर। **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. श्री कालिया पिता श्री गांगला मीणा, उम्मेदपुरा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर। 2. भूमिधारी तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर। **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 16/2020 निर्णय दिनांक 11.01.2021 बउनवानी श्री नटवरसिंह बनाम कालिया व अन्य** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 12.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 16/2020 निर्णय दिनांक 11.01.2021 बउनवानी श्री नटवरसिंह बनाम कालिया व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री कालिया पिता गांगला मीणा को मौजा भेखरेड़ वर्तमान गांव उम्मेदार के संख्या 87/64 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि मिसल संख्या 1759/75 आंवटन हुई। अपीलार्थी श्री नटवरसिंह द्वारा उक्त आवंटन का गलत रूप से किये जाने एवं प्रत्यर्थी-1 के द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से और उक्त भूमि पर अपीलार्थी का ही कब्जा होने का कथन प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम-1970 के तहत पेश कर उक्त आवंटन निरस्त करने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) निरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 11.01.2021 पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 11.01.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष उक्त अपील अन्दर मयाद पेश की गई जिसे दिनांक 21.01.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 02.02.2023, 31.03.2023 एवं 12.04.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि ग्राम भेखरेड़ (उम्मेदपुरा) में अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 2477/85 रकबा 1.1326 हैक्टेयर से लगी आराजी नम्बर 64 रकबा 12.17	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/3) **श्री नटवरसिंह बनाम श्री कालिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीघा में से 4.02 बीघा भूमि अपीलार्थी एवं उसके पिता का 60-70 साल से शांतिपूर्ण और काश्तकारी कब्जा चला आ रहा है। उक्त दोनों आराजीयात चक होकर बीच में कोई पाली, डोली, बाड़ इत्यादि नहीं है जिसके आधार पर दोनों की कॉमन बाउण्ड्री का आईडेंटिफिकेशन किया जा सकें। उसी प्रकार बची हुई भूमि पर अपीलार्थी के काका एवं अन्य पर श्री पूरिया का कब्जा है। इन 60-70 सालों में पहली बार धारा-183 की कार्यवाही का नोटिस प्राप्त होने पर उक्त आवंटन की जानकारी अपीलार्थीी को हुई जिसमें अपीलार्थी को अतिक्रमी बताया गया। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र नियम 14(4) पेश किया जिससे विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर दिया गया। नियम 1970 के नियम 14(4) के विभिन्न नियमों मे प्रावधान आवंटन पत्रावली, आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र, आवंटन सलाहकार समिति के बैठक, आवंटन आदेश, आवंटन भूमि की कब्जा सुपुर्दगी, नक्शा ट्रेस, आवंटन के प्रमुख स्तंभ है। उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में केवल नामान्तरकरण 79 व 198 के आधार पर और इन दोनों ही नामान्तरकरणों के आधार पर किये गये पश्चातवर्ती जमाबंदी इन्द्राज के आधार पर प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में आवंटन होना ही नहीं माना जा सकता है। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर पेमुदगी भी नहीं की गई क्योंकि बेसिक नक्शा यानि आवंटन के साथ नक्शा ही उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि खसरा गिरदावरियों से होती है। तथाकथित भूमि आवंटन के प्रत्यर्थी-1 ने आवंटित भूमि पर कभी काश्त नहीं की क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पक्ष में आवंटन हुआ है, उसका कब्जा ही नहीं था और इस प्रकार उसने इस भूमि में अपने अधिकार, यदि कोई होना वह साबित कर दे तो उन्हें वेव और ऐबेण्डन कर दिया, यानि आवंटन को त्याग दिया है। उक्त आवंटन छलकपट एवं दुर्व्यपदेशन का सहारा लेकर किया गया है। उक्त प्रकरण में तथाकथित आवंटी को खातेदारी अधिकार दे दिये गये हो तो भी इस तरह के खातेदारी अधिकार दिया जाना आवंटन निरस्ती की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है। उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी-1 का कब्जा नहीं होकर अपीलार्थी का कब्जा है और अपीलार्थी द्वारा ही काश्त की जा रही है जो खसरा गिरदावरी से जाहिर होती है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.01.2021 निरस्त फरमाया जावें। ग्राम भेखरेड़ की आराजी नम्बर 64 में प्रत्यर्थी-1 को किये अदृश्य आवंटन, अदृश्य आवंटन को बताने वाली प्रविष्टियों को निरस्त फरमाया जाकर आराजी संख्या 87/64 को बिलानाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1990 पेज 465 पेश किया। **उक्त बहस में खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** प्रत्यर्थी-1 को उक्त आवंटन विधिवत तरीके के किया गया। प्रत्यर्थी-1 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। उक्त भूमि पर गत 5 वर्षों से अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने से कब्जा दिलाने बाबत प्रत्यर्थी-1 ने तहसीलदार समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-183 आरटी एक्ट का प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया था, उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक निर्णय पारित कर निरस्त कर दिया गया, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रत्यर्थी-1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जिस पर नियम 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/3) **श्री नटवरसिंह बनाम श्री कालिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने का आ अनुरोध किया।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में प्रस्तुत दस्तावेजों का अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

सर्वप्रथम आवंटन को निरस्त करने का क्या नियम है? यह जांचने के लिये यहां राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोग हेतु भूमि आवंटन) नियम-1970 का नियम-14(4) का अवलोकन करना होगा। नियम-14(4) निम्न प्रकार है :-

''उपखण्ड अधिकारी या (तहसीलदार) द्वारा या नियम-21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्ववप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है, या नियमों के विरूद्ध किया हो **अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग किया हो।**

परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।''

यहा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोग हेतु भूमि आवंटन) नियम-1970 का 14(3) का अवलोकन (वर्ष 1999 में किये गये संशोधन से पूर्व का) किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है-

''**14(3) आवंटिती की आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और शेष क्षेत्र को दुसरे वर्ष में काश्त के अधीन करना होगा।**''

उक्त नियम के अनुसार कलक्टर (जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी सम्मिलित है) भूमि का आवंटन निरस्त कर सकता है बशर्ते वह धोखा (फ्राड), गलत बयानी (Mis representation) अथवा नियमों के विरूद्ध किया गया हो **अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग किया हो।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के किये गये अकंन के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी-1 श्री कालिया पिता गांगला मीणा को मिसल संख्या 1759/76 के जरिये आराजी संख्या 87/64 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा मौजा भेखरेड वर्तमान गावं उम्मेदपुरा में आवंटन हुआ। यहां आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया और पाया गया कि उक्त पत्रावली में तहसीलदार, साबला के निर्देश पर बना एक पर्चा मौका दिनांक 17.03.2023 उपलब्ध है। उक्त पर्चा मौका अनुसार कथित आवंटित भूमि पर श्री शंकरसिंह पिता श्री लक्ष्मणसिंह राजपूत एवं श्री नटवरसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत का कब्जा होना अंकित किया गया है। उक्त पर्चा मौका अनुसार उक्त भूमि पर कथित आवंटी श्री कालिया का आवंटित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, जो यह प्रश्न उत्पन्न करता है कि आवंटन शर्ते अन्तर्गत नियम 14(3) की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/3) **श्री नटवरसिंह बनाम श्री कालिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पालना हुई या नहीं।

इस न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में संबंधित तहसीलदार से आराजी संख्या 87/64 रकबा 1.1083 हैक्टेयर की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई, जिस पर तहसीलदार, साबला द्वारा रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 प्रेषित की जो निम्नानुसार है-

1. ''यहकि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का भेखरेड़ के वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075-2076 खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 87/64 रकबा 1.1083 है. किस्म सुखी तृ. खातेदार श्री कालिया पिता गांगला मीणा निवासी उम्मेदपुरा (मजरा कोटिया ओड़ा) के नाम दर्ज रेकार्ड है।
2. यहा कि खसरा नम्बर 87/64 रकबा 1.1083 में से आंशिक रकबा 0.4450 है. भूमि पर श्री शंकरसिंह पिता श्री लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी अहाड़ा का बीड़ के रूप में मौके पर कब्जा है। उक्त कब्जे संबंधि खातेदार श्री कालिया पिता गांगजी मीणा को कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया।
3. यह कि खसरा नम्बर 87/64 रकबा 1.1083 है. भूमि में से शंकरसिंह के कब्जे के अतिरिक्त शेष 0.6663 है. भूमि पर खातेदार श्री कालिया पिता गांगला मीणा व श्री नटवरसिंह पिता मोतीसिंह निवासी उम्मेदपुरा का कब्जे संबंधित विवाद है उक्त विवादित भूमि में समतलीकरण किया गया जो मौके पर उपस्थितों द्वारा श्री नटवरसिंह पिता मोतीसिंह द्वारा किया जाना बताया गया।
4. यह कि मौके पर समतलीकरण किये गये रकबे 0.3236 है. भूमि पर गेंहू की फसल बोई गई है। उक्त गेंहू की फसल दोनों पक्ष कालिया पिता श्री गांगला मीणा एं नटवरसिंह पिता श्री मोतीसिंह राजपूत अपने-अपने द्वारा काश्त करना बताया गया। उक्त भूमि के कब्जे संबंधी मौके पर विवाद है।
5. यह कि प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर वक्त मौका जांच दोनों पक्ष श्री कालिया पिता गांगला मीणा व नटवरसिंह पिता श्री मोतीसिंह राजपूत उपस्थित रहे किन्तु कालिया पिता गांगला मीणा द्वारा पर्चा मौका पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना बताया।''

उक्त रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि आवंटित भूमि पर श्री कालिया का कब्जा नहीं है, श्री कालिया स्वयं द्वारा 0.4450 है. भूमि पर श्री शंकरसिंह पिता श्री लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी अहाड़ा कब्जा होना मानकर उस पर कोई आपत्ति नहीं की है। लेख है कि न ही अधीनस्थ न्यायालय एवं न ही इस न्यायालय समक्ष श्री कालिया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो यह प्रकट करता हो कि उसके द्वारा आवंटन नियम की शर्ते अन्तर्गत नियम 14(3) की पालना की गई हो। उसके द्वारा आवंटन के उपरान्त आवंटित भूमि पर किये गये काश्त के साक्ष्य स्वरूप खसरा गिरदावरियों प्रस्तुत नहीं की गई जबकि प्रावधानोनुसार **आवंटिती की आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और शेष क्षेत्र को दुसरे वर्ष में काश्त के अधीन करना होगा।** इसके अतिरिक्त शंकरसिंह के कब्जेशुदा भूमि के अलावा भूमि पर भी अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं होना प्रथम दृष्टया उक्त रिपोर्ट से जाहिर होता है, न ही उक्त भूमि पर उसके द्वारा कोई कार्य करवाया गया। उक्त भूमि के समतलीकरण का कार्य भी अपीलार्थी के किये जाने के बाबत उपस्थित मौतबिरान द्वारा बताये जाने का अंकन है। यह स्पष्ट है कि आवंटन के बाद श्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/3) **श्री नटवरसिंह बनाम श्री कालिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कालिया द्वारा उक्त भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई है, जो नियम 14(3) के तहत एक आज्ञापक प्रावधान है। तहसीलदार ने मौका निरीक्षण करते वक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.2020 एवं 20.02.2022 करते समय वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी-1 श्री कालिया का कब्जा न होना पाया है एवं स्पष्टतः उक्त भूमि पर अपीलार्थी एवं श्री शंकरसिंह का कब्जा होना माना है। ऐसी सूरत में आवंटन शर्तो का उल्लधं होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

जहां तक धारा-183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण का संबंध है, यहा लेख किया जाना आवश्यक है कि आवंटन उपरान्त उक्त भूमि कभी भी आवंटी के कब्जे में नहीं रही है, क्योंकि आवंटी द्वारा नियम 14(3) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं किया जाना प्रकट होता है। आवंटन उपरान्त श्री कालिया द्वारा निरन्तर आज दिनांक तक काश्त किये जाने के साक्ष्य के रूप मे खसरा गिरदावरी इत्यादी पेश नहीं की गई। एक रोचक तथ्य भी प्रकट होता है कि श्री कालिया को आराजी संख्या 87/64 रकबा 1.1083 है. भूमि का आवंटन किया जाना बताया गया उसमें से 0.4450 है. भूमि पर श्री शंकरसिंह का कब्जा होना पाया गया, ऐसे में श्री शंकरसिंह के विरूद्ध भी धारा-183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी थी जो नहीं की गई। **मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2022 अनुसार श्री शंकरसिंह के कब्जे पर श्री कालिया द्वारा अनापत्ति दी जो अप्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिफल अन्तरण भी कहा जा सकता है और यह नियम-14(8)(ख) के अनुसार अनुमत नही है।** यह प्रकट करता है कि श्री कालिया स्वच्छ हाथों से कार्यवाही निष्पादित नहीं कराना चाहता है। उसके द्वारा आवंटन के 40 वर्ष उपरान्त सिर्फ श्री नटवर सिंह के खिलाफ यह कार्यवाही करना, उसके पक्ष में किये कथित आवंटन पर प्रश्न उत्पन्न करता है यद्यपि श्री कालिया द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना पाया गया है।

यहा यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि कथित आवंटित भूमि पर श्री कालिया द्वारा कभी काश्त नहीं की गई जिससे वह खातेदारी अधिकार पाने का हकदार नहीं होता है। उसके द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की गई जो खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्नचिन्ह है। उपरोक्ता मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवंटित भूमि वर्तमान में श्री कालिया का कब्जा नहीं है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी-1 के अधिवक्ता ने आक्षेप उठाया है कि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात नियमानुसार गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है, इस कारण भी उनका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त करने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (1) में दिनांक 26-3-97 को संशोधन करके नवीन प्रावधान धारा 63(1)(ix) में निम्न प्रकार किये हैं-

> 63 (1) - The interest of tenent in his holding or a past thereof, as the case may be, shall extinguished.
>
> (ix) - If the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajashan Act No- 15 of 1956) or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force.

इन नई धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन करने हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/3) **श्री नटवरसिंह बनाम श्री कालिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जो बिल प्रस्तुत किया था, उसके उद्देश्य एवं कारण निम्न प्रकार है-

> "The state Government constituted a one man Enquiry Commisson headed by Justice B.P. Beri, under the provisions of Commission of Enquiry Act, 1952 in the year 1978. The Commissioner was requested to recommend measures including changes of law for quashing the illegal, irregular, improper orders and removing the mischief of such orders and for preventing misuse of power, recurrence of abuse of authority or malpractice.
>
> In number of cases the Commission suggested to cancel the allotment made in favour of such persons who were not eligible, landless and bonafide agriculturist and minor at the time of allotment in order to set at rest all irregularities committed at the time of allotment, the State Government decided to cancel such allotment, many among such allottees have acquired khatedari rights, and in such cases, tenancies cannot be extinguished by mere cancellation of the allotment order.
>
> Section 63 of the Rajathan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) deals with the extinction of tenancies on the eventualities and things specified therein. By adding a new clause (ix) in sub-section (1) of section 63 of the Act, the implementation of Beri Commission Report in individual cases can be ensured. By this new provision as and when the allotment of land is cancelled, the acquired khatedari rights would also be extinguished automatically. In order to make specific provision for extinction of tenancies in such cases, clause (ix) is proposed to be added to sub-section (1) of section 63 of the Act. Opportunity has also been availed to amend clause (ii) of sub-section (1) of section 63 so as to substitute the reference of law relating to land acquisition."

न्यायिक दृष्टान्त **1998 आर.आर.डी. पेज 589** में धारा 63(1)(ix) के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन कर आवंटन आदेश को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी निरस्त किया जा सकता है, का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उक्त निर्णय में निम्न निष्कर्ष विनिश्चत किया है-

> Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 Rule 14(4)- Rajashtan Tenancy Act, Section 63(1) (ix) - Allotment cancelled on complaint by Collector- Order upheld in appeal by RAA-Appeal-Held, allottee obtained allotment showing himself landles when he is a recorded khatedar of 75 bighas Barani III land as per Jamabandi of St. 2023-26-Khatedari rights obtained after 10 yrs.-Allotment cancelled in view of amended Sec. 63(1)(ix) of R-T- Act newly added on 26-3-97 Concurrent findings of the courts below, held justified and confirmed.

उपरोक्त के अनुसार प्रकरण पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने मौका निरीक्षण करते वक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.2020 एवं 22.02.2022 करते समय वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी-1 श्री कालिया का कब्जा न होना पाया है एवं स्पष्टतः उक्त भूमि पर अपीलार्थी एवं श्री शंकरसिंह का कब्जा होना माना है। आवंटन की शर्तों

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/3) **श्री नटवरसिंह बनाम श्री कालिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के सर्वथा अनुरूप उस पर काश्त नहीं की गई है और समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है, जैसा के नियम-14(8)(क) में उपबंधित किया गया है। ऐसी सूरत में आवंटन शर्तो का उल्लधंन होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के दृष्टिगत आवंटन निरस्त किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने प्रार्थना पत्र धारा-14(4) अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 का खारिज करने में उक्तानुसार तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की है एवं अपीलान्ट यह साबित करने में सफल रहा है कि श्री कालिया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2021 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी-1 श्री कालिया पिता गांगला मीणा के पक्ष में किया गया आलौच्य आवंटन निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार साबला को पालना बाबत लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर